बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सेन्ट्रल टूल रुम एंड ट्रेनिंग सेन्टर (CTTC), कोलकाता को बिहार राज्य के 100 (एक सौ) बेरोजगार युवकों/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय 81,28,700.00 (एकासी लाख अठठाइस हजार सात सौ रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त स्वीकृत राशि का व्यय/भुगतान विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– 1287 दिनांक–27.03.2018 एवं स्वीकृत्यादेश सं0–1288 दिनांक–27.03.2018 द्वारा उद्योग मित्र के P.L.A-277 में हस्तान्तरित/रक्षित राशि से निम्नवत् की जाएगी :–

क्र0सं0	प्रशिक्षणार्थी की सं0	स्वीकृत्यादेश सं0	स्वीकृत राशि
i.	सामान्य–68	स्वीकृत्यादेश सं0–1287 दिनांक–27.03.2018	55,27,502.40
ii.	अनुसूचित जाति–28	स्वीकृत्यादेश सं0–1288 दिनांक–27.03.2018	22,76,030.40
iii.	अनुसूचित जनजाति–04	स्वीकृत्यादेश सं0–1288 दिनांक–27.03.2018	3,25,147.20
		कुल राशि :–	**81,28,680/-**

(एकासी लाख अठठाइस हजार छः सौ अस्सी रूपये) मात्र

(3) उक्त स्वीकृत राशि का व्यय **CTTC, कोलकाता** के पत्र सं0– CTTC/Trg/Industries-SDT-Bihar/2018-19. दिनांक–28-11-2018 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप किया जाएगा।

(4) प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान संस्थान को **BSDM,** श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या 463 दिनांक 30.06.2017 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में किया जाएगा।

(5) आवासन हेतु संस्थान को **BSDM** के दर 300 रूपया प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से भुगतान किया जाएगा।

(6) संस्थान को थर्ड पार्टी एसेसमेंट **BSDM** के अधिकृत एजेंसी से कराना होगा।

(7) उपर्युक्त आवासीय प्रशिक्षण सर्टिफिकेट कोर्स **(i) Master Certificate Course in CNC technology (780 hrs.), (ii) Certificate Course in CNC Milling (780 hrs.), (iii) Certificate Course in CNC Turning (780 hrs.) & (iv) Certificate Course in Room AC and Home Appliances (588 hrs.)** में दिया जाएगा।

(8) उक्त योजना अन्तर्गत कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का कम से कम 70-75% का नियोजन/स्वनियोजन, **CTTC, कोलकाता** द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। नियोजित व्यक्तियों को एक साल ट्रेकिंग किया जाएगा तथा प्रतिवेदन **BSDM** के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(9) प्रशिक्षण हेतु राशि की स्वीकृति **BSDM** के पत्रांक–986 दिनांक–30.11.2017 द्वारा निर्धारित कास्ट कटैगरी के अनुसार की जाएगी। प्रशिक्षण, संस्थान द्वारा चिन्हित ट्रेड में **BSDM** के अनुसार कास्ट कटैगरी के अनुरूप में किया जाएगा।

(10) **CTTC, कोलकाता** का निबंधन बिहार कौशल विकास मिशन **(BSDM)** पटना से कराना होगा।

(11) संस्थान को प्रशिक्षण हेतु आवंटित कोर्सो को बिहार कौशल विकास मिशन, पटना से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(12) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना उक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन/नोडल पदाधिकारी होगे। जिनके द्वारा **सेन्ट्रल टूल रुम एंड ट्रेनिंग सेन्टर (CTTC), कोलकाता** से MOU किया जाएगा।

(13) स्वीकृत राशि में से 30 प्रतिशत राशि का व्यय जेंडर बजट में की जाएगी।

(i) प्रशिक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत भुगतान– एक तिहाई प्रशिक्षण अवधि अथवा प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाने के एक माह बाद एवं अच्छादित अवधि में 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर भुगतेय।

क्रमश पृष्ट–02 पर

(ii) प्रशिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत भुगतान–प्रशिक्षण समाप्त होने एवं अधिकृत एजेंसी से एसेसमेंट उत्तीर्ण आवेदको के आधार पर भुगतेय।

(iii) प्रशिक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत भुगतान – 50प्रतिशत नियोजन/स्वनियोजन के बाद भुगतेय।

(iv) प्रशिक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत भुगतान –12 माह तक नियोजितो के ट्रेकिंग के बाद भुगतेय।

(14) इस योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें। वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगें।

(15) प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ संग्सं– 03/उ0नि0/प्रशिक्षण (CTTC)–02–08/2018 पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ संग्सं– 03/उ0नि0/प्रशिक्षण (CTTC)–02–08/2018 पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ संग्सं– 03/उ0नि0/प्रशिक्षण (CTTC)–02–08/2018 पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ संग्सं– 03/उ0नि0/प्रशिक्षण (CTTC)–02–08/2018 पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– **सेन्ट्रल टूल रुम एंड ट्रेनिंग सेन्टर (CTTC)**, बोन हुगली इन्डसट्रियल एस्टेट कोलकाता–108 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ संग्सं– 03/उ0नि0/प्रशिक्षण (CTTC)–02–08/2018 पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 700/ संग्सं– 03/उ0नि0/प्रशिक्षण (CTTC)–02–08/2018 पटना, दिनांक 31/1/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग/मिशन निदेशक **BSDM** पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक, (योजना) उद्योग विभाग बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 (स0), (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को एवं प्रशाखा–03, उद्योग निदेशालय/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।